

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती जीतू कुलहरी) आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/75/2025 जी0सी0एम0एस0 सं0 2023/242

1. रामपाल पुत्र पांचु जाति धोबी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकडी (वादी)

बनाम

1. श्री दुर्गा पुत्र छोटू जाति धोबी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकडी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकडी (प्रतिवादीगण)



निर्णय अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-
1. वकील वादी श्री विष्णुदत्त शर्मा
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 07.10.2024

वादी का वाद पत्र संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसके अनुसार तहसीलदार भिनाय को आदेश दिया गया था कि ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू.अ.नि.देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित कृषि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 503 में दर्ज खसरा नं. 3688 रकबा 0.21, खसरा सं. 3758 रकबा 0.14, खसरा सं. 3759 रकबा 0.40, खसरा सं. 3762 रकबा 0.20, खसरा सं. 948 रकबा 0.06 है0 किता- 5 कुल रकबा 1.01 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजस्व जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार मीट्स एवं बाउण्ड के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करे। जिसकी पालना बाबत् तहसीलदार भिनाय को लिखा गया।

तहसीलदार भिनाय द्वारा जरिये पत्र दिनांक 21.08.2024 को को बंटवारा प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी व प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त काश्त की अविभाजित आराजीयात होने से वादी व प्रतिवादी सं. 1 का उक्त प्रश्नगत आराजी के प्रत्येक इंच पर हक हिस्सा एवं अधिकार है। वादी उक्त संयुक्त आराजीयात में अपने हिस्से अनुसार विभाजन करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का विधिवत विभाजन कर अलग-अलग खाते कायम करने के आदेश कराने का निवेदन किया।

वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली वास्ते बंटवारा प्रस्ताव नियत की गई। वाद पत्र में वकील वादी तथा पैरोकार सरकार को सुना गया। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव से वादीगण सहमत है। पत्रावली का गहन अध्ययन किया जाकर उपस्थित पक्षकारान के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अनुतोष योग्य एवं न्यायसंगत होना पाया गया। बाद

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अवलोकन एवं मनन तहसीलदार भिनाय से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार पत्रावली में अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है अतः आदेश दिया जाता है कि—

—:आदेश:—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू.अ.नि.देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित कृषि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073—2076 के खाता सं. 503 में दर्ज खसरा नं. 3688 रकबा 0.21, खसरा सं. 3758 रकबा 0.14, खसरा सं. 3759 रकबा 0.40, खसरा सं. 3762 रकबा 0.20, खसरा सं. 948 रकबा 0.06 है० किता— 5 कुल रकबा 1.01 हैक्टर भूमि का विभाजन वादी, प्रतिवादी सं. 01 के मध्य तहसीलदार भिनाय से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंट में रखी जाकर बंटवारा स्वीकृत किया जाता है। इस अनुसार पृथक—पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किया जावें। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 5007 दिनांक 21.08.2024 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। उक्त भूमि का श्रीमान् शासनन उप सचिव राजस्व(ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(17) राज-6/2021/ पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 के निर्देशानुसार रास्ते के रूप में नक्शे दिखाने के साथ—साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी उसे अलग नम्बर दिया जावें। यदि यह रास्ता आगे किसी सार्वजनिक रास्ते पर खुलता/मिलता हो तो उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जावे। तहसीलदार भिनाय वादी द्वारा नियमानुसार बंटवारा स्टॉम्प शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात् निर्णय अनुसार अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



07/10/25
(जीतू कुलहरी RAS)
जिल्हाधिकारी
भिनाय अजमेर
भिनाय (अजमेर)

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भिनाय व अजलास श्रीमती जीतू कुलहरी(RAS)
रामपाल बनाम दुर्गा वगै०

दावा अन्तर्गत धारा 53 रा.का. अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 75/2023 जी०सी०एम०एस० संख्या 2023/242

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कई रूबरू श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.) व अधिवक्ता वादी श्री विष्णुदत्त शर्मा, व पैरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दई रूबरूमिनजामिन मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम देवलियांकलां पटवार हल्का देवलियांकलां भू.अ.नि.देवलियांकलां तहसील भिनाय स्थित कृषि आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 503 में दर्ज खसरा नं. 3688 रकबा 0.21, खसरा सं. 3758 रकबा 0.14, खसरा सं. 3759 रकबा 0.40, खसरा सं. 3762 रकबा 0.20, खसरा सं. 948 रकबा 0.06 है० किता- 5 कुल रकबा 1.01 हैक्टर भूमि का विभाजन वादी, प्रतिवादी सं. 01 के मध्य तहसीलदार भिनाय से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंट में रखी जाकर बंटवारा स्वीकृत किया जाता है। इस अनुसार पृथक-पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम किया जावे। तहसीलदार भिनाय से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। उक्त भूमि का श्रीमान् शासनन उप सचिव राजस्व(ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(17) राज-6/2021/ पार्ट/91 जयपुर, दिनांक 30.09.2021 के निर्देशानुसार रास्ते के रूप में नक्शे दिखाने के साथ-साथ राजस्व रिकॉर्ड में भी उसे अलग नम्बर दिया जावे। यदि यह रास्ता आगे किसी सार्वजनिक रास्ते पर खुलता/मिलता हो तो उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में अभिलेख में दर्ज किया जावे। तहसीलदार भिनाय वादी द्वारा नियमानुसार बंटवारा स्टॉम्प शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात् निर्णय अनुसार अमल दरामद किया जावे।

निजी.....X.....मुबलिक.....X.....बाबत्.....X.....खर्चा इस मुकदमें का मय
सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलीयत तक.....X..... को अदा करें।
वसूलियाव तक.....X..... को अदा करें।
वासख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.10.2025 को अंतिम डिक्री की जाती हैं।

दस्तख्त.....
ओहदा.....

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | - | - | स्टाम्प अर्जी दावा | - | - |
| स्टाम्प वकालत नामा | - | - | स्टाम्प वकालत नामा | - | - |
| स्टाम्प वजह सबूत | - | - | महन्ताना वकील | - | - |
| महन्ताना वकील | - | - | खर्चा गवाहान | - | - |
| खर्चा गवाहान | - | - | फीस कमीशनर | - | - |
| फीस कमीशनर | - | - | बबत् इजराय हुक्मनामा | - | - |
| बबत् इजराय हुक्मनामा | - | - | | | |
| मुतफरिक | - | - | मुतफरिक | - | - |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर दी फरीकेन चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)